5/12/19	न्यायालय सहायक कलेक्टर दौसा
	बुद्धा V/s जगदीश वगैरह
	निर्णय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वादी द्वारा एक वाद पत्र अधिघोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकाज्मा

सहायक कलेक्टर
दौसा (जि. दौसा)

P.T.O

बुद्धा आदि V/S जगदीश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
लगातार 05/11/19		

आराजी वाद ग्रस्त भूमि खसरा नं० 1834, 1835, 1836, 1837, 1839, 1840, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, खसरा नं० 1822, 1830, 1831, 1832, 1833, 1838, 1843, 1852, 1853, खसरा नं० 1821 है० तन मौजा भीकली त० दौसा की बाबत पेश किया गया।

वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया गया कि आराजी कुल में अप्रार्थी स० 1 लगायत 5 का हक हिस्सा/दुदर्ज रेवेन्यू रिकार्ड गलती से निराधार कब्जा दर्ज होने की वजह से दिनांक 13/03/19 को अप्रार्थी स० 6 लगायत 10 अजनबी क्रेतागण को बेयनामा कर दिया गया। आराजी वाद ग्रस्त प्रतिवादी नं० 1 ला० 5 की स्वयं व पिता की कर्ता भूमि नहीं रही। बल्कि पितामह ग्यारसा पुत्र भैरू स्वयं रेवडी पत्नि ग्यारसा के हक अधिकारों की भूमि रही है जागीरदारी के जमाने से रेवडी के फूफा छोटू पुत्र लालचन्द माली द्वारा अपनी भतीजी रेवडी को दी गई थी आराजी जागीर उन्मूलन के समय सम्वत 2008-2009 के बाद खाता स० 1170, 1169, 1190, 1059 तन मौजा भाण्डारेज का अंकन वादीगण के बडे भ्राता भौरया के हक में दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड खातेदारी दर्ज हो गया। परन्तु वादीगण स० 15 से 28 तक पैतृक संयुक्त कुटुम्ब परिवार की भूमि पर अपने हिस्सा अनुसार काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होते चले आरहे हैं।

वादी स० 15 लगायत 28 मय अप्रार्थी प्रतिवादी नम्बर 1 से 5 का सजरा खानदान बनाकर पेश किया गया उससे यह सिद्ध होता है कि आराजी पैतृक हक अधिकार की भूमि है मात्र भौरया कर्ता खानदान बडा भाई होने के नाते उसके हक गलत अंकन खातेदारी हो जाने से वादीगण को महरूम नहीं किया जा सकता है।

प्रतिवादीगण बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आये हैं। ना ही क्रेता आराजी उपस्थित आये हैं।

सहायक कलेक्टर
दौसा (जि० दौसा)

P.T.O.

कुड्डा V/S जगदीश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
लगातार 5/12/19	बल्कि दावेजात की जानकारी होते हुए कब्जे काश्त करते आजदिन तक आराजी के एक इंच भाग पर प्रतिवादी नं० 1 लगायत 5 का कब्जा व काश्त नहीं रहा है न ही क्रेतागण का कोई कब्जा काश्त है ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित होता है। वादीगण को पैतृक आराजी से बेदखल कर दिया जाता है तो वादीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती है ऐसी सूरत में वादी प्रार्थीगण के मुकाबले प्रतिवादीगण के मुकाबिल भारी साबित होता है यह है कि वादी गण द्वारा अधि घोषणा एवं तकास्मा का दावा पेश किया गया है। प्रतिवादी क्रेतागण को अजनबी क्रेतागण होने की गर्ज से स्थाई निषेधाज्ञा चाहा गया है क्रेतागण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कराकर नामान्तरकरण करा लिया गया है। वादी के हक अधिकारों की उद्घोषणा के दावे के लम्बित रहते आराजी का अग्रिम विक्रय किया जा सकता है ऐसी सूरत में प्रार्थीगण द्वारा ता फैसला वाद पत्र आराजी के रहन बय अन्तरण किसी भी खातेदार द्वारा किये जाने से निषेधाज्ञा चाहा गया है ताकि भविष्य में अन्य दावेजात उत्पन्न नहीं हो एवं प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति उत्पन्न होने की सूरत में जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा दायरी दावे की राजस्व रिकार्ड की सूरत यथावत बनाये रखने हेतु पाबन्दी न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होती है सुविधा सन्तुलन में वादीगण प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के हक में भारी क्षति होगी ऐसी सूरत में अप्रार्थीगण नं० 1 लगायत 13 को वाद ग्रस्त आराजी के रहन बय अन्तरण पंजीयन नामान्तरकरण से राजस्व रिकार्ड के परिवर्तन किये जाने से ता फैसला वाद राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति अस्थाई रूप से वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है [illegible] [illegible] सहायक कलेक्टर दौसा (जि. दौसा)	

मु.जो. जो.

सहायक कलेक्टर
दौसा (जि. दौसा)

P.T.O

तारीख हुक्म	बुद्धा V/s जगदीश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
लगातार 05/12/19	प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली वाद पत्र के साथ शामिल रहे। आदेश आज दिनांक 05/12/19 को बादमेरे हस्ताक्षर न्यायालय मोहर द्वारा पारित किया गया सहायक कलेक्टर दौसा (जि. दौसा)	